



समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची (कल्याण शाखा)

(ब्लॉक-ए, कमरा संख्या- 112, ईमेल- dwo-ranchi@jharkhandmail.gov.in): 0651-2213348

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

छात्र-छात्राओं के लिए:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राँची जिला में सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के जिन छात्र-छात्राओं का PVT Hosetl/Private Hostel के कारण DNO Officer के द्वारा Pending किया गया है, वैसे आवेदनों का ई-कल्याण पोर्टल पर छात्रों को ही EDIT/सुधार करने का Option दिया गया है।

अतः छात्र-छात्राओं को निदेशित किया जाता है कि वे अपने ID Password से Login करते हुए अपने आवेदन में संशोधन करेंगे तथा किसी एक संलग्न प्रमाण पत्र को पुनः पोर्टल पर Upload करते हुए आवेदन को OTP के द्वारा Resubmit ससमय करेंगे।

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि उनके खाता में PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसके लिए छात्र-छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार SEEDING/MAPPING होना अनिवार्य है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु सभी योग्य छात्रों/अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार के साथ SEEDING एवं MAPPING कराना एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। छात्रों का बैंक खाता आधार के साथ SEEDING एवं MAPPING नहीं होने एवं किसी प्रकार की त्रुटि होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। बैंक खाता के साथ आधार Mapping एवं Inactive होने या लिंक नहीं होने की जानकारी UIDAI के वेबसाइट <https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status> पर भी प्राप्त की जा सकती है।

६०-

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
राँची।

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

६०-

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
राँची।

ज्ञापांक 2496/22 दिनांक 10/09/2024

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, ई-कल्याण में निर्बंधित शैक्षणिक संस्थान जिला राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को अपने शिक्षण संस्थान के सूचना पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

६०-

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
राँची।